

मुख्य रसोईया पद हेतु मैट्रिक से न्यून योग्यताधारी अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची

निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना का पत्रांक 4884 दिनांक 19.07.2023 एवं पत्रांक 2215 दिनांक 27.04.2026 के आलेक में परिचय चम्पारण जिला अन्तर्गत संचालित कस्तूरबा गौरी गालिका विद्यालयों में चतुर्थ वरीय अभ्यर्थी के नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन राज्य स्तर पर प्राप्त किया गया था। नियोजन समिति का निर्णय पत्रांक 1836 दिनांक 14.05.2026 के आलेक में कार्यालय, समय शिक्षा, प० चम्पारण का आदेश ज्ञापक 1833 दिनांक 14.05.2026 के द्वारा सूचना प्रकाशित कर दिनांक 16.05.2026 से 26.05.2026 के मध्य आवेदकों की काउंसलिंग करायी गयी। काउंसलिंग में उपस्थित आवेदकों का कार्यालय पत्रांक 2198 दिनांक 17.06.2026 के द्वारा सूचना प्रकाशित कर दिनांक 18.06.2026 से 22.06.2026 तक साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा कार्यक्रम आयोजित की गयी। आदेशपाल एवं राक्षि पररी पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित एवं साईकल परीचालन में सक्षम आवेदकों का स्वीकृत/कोशल टेस्ट दिनांक 23.06.2026, 30.06.2026 एवं 07.07.2026 को आयोजित की गयी। इस प्रकार काउंसलिंग, साक्षात्कार एवं स्वीकृत टेस्ट में उपस्थित एवं योग्य अभ्यर्थियों की औपबधिक मेधा सूची को दिनांक 08.09.2026 को जिला नियोजन समिति की बैठक कर सदस्यमति से तैयार किया गया है। औपबधिक मेधा सूची निम्न प्रकार है :-

Sl. No.	Application No.	Name of Candidate	Aadhar No	Date of Birth			Caste Category	Qualification	Marks of Interview
				Date	Month	Year			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	HC1100115780	ASHA KUAWAR	986598426102	3	5	1983	अनु० जाति / SC	8th Pass	92
2	HC1100161968	NILU KUMARI	211302893057	1	1	1995	अनु० जनजाति / ST	8th Pass	91
3	HC1100164195	MALA KUMARI	798612072058	1	1	1984	अत्यंत पिछड़ा वर्ग / EBC	8th Pass	90
4	HC1100164852	MU SANGITA	423168527578	1	1	1988	अत्यंत पिछड़ा वर्ग / EBC	8th Pass	88
5	HC1100112294	SHANTI DEVI	487868763154	1	1	1974	अनु० जाति / SC	8th Pass	87
6	HC1100132007	SARITA DEVI	588756156125	16	5	1984	पिछड़ा वर्ग / BC	8th Pass	83
7	HC1100041614	ARTI DEVI	346767021655	7	5	1995	सामान्य वर्ग / General	8th Pass	77
8	HC1100105596	SUNITA DEVI	805263643832	2	3	1992	सामान्य वर्ग / General	8th Pass	41

नोट : 1. उपरोक्त औपबधिक मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थी दावा/आपति साक्ष्य सहित विधित्त अवधी में जिला शिक्षा पदाधिकारी, प० चम्पारण कार्यालय के समय शिक्षा सभाग में समर्पित करेंगे।

2. पैनल में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया जाना, उनके नियोजन के दावे को स्वीकार कर लेना नहीं है।

3. जाँच के फलफल के आधार पर सूची परिवर्तित हो सकता है।

4. लिपिकीय एवं टंकनीय मूल प्रकाश में आने पर सुधार किया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
समय शिक्षा-सह-सचिव

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना

(संयोजक मंडल)
वरीय उप समाहर्ता-सह-मनोनित सदस्य

(विकास कुमार)
वरीय उप समाहर्ता-सह-मनोनित सदस्य

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
परिचय चम्पारण-सह-अध्यक्ष